लिसा गिल, जे के सम्मुख

डी. वी. एम. पब्लिक स्कूल-अपीलार्थी

बनाम

भगवती और अन्य प्रतिवादीगण

एफ. ए. ओ. No.5340/2014

23 अक्टूबर, 2019

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-मोटर दुर्घटना-बस नाली में गिर गई जिससे यात्रियों की मौत हो गई और घायल हो गए-वैध परमिट के बिना बस चलाने का अपराध-न्यायाधिकरण बीमाकर्ता को दोषमुक्त करता है-बस के मालिक और चालक द्वारा अपील और संशोधन-आयोजित, परमिट के बिना सार्वजनिक स्थान पर वाहन का उपयोग एक मौलिक वैधानिक उल्लंघन है-बीमाकर्ता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है-इसके अलावा, चालक और मालिक दोनों पर संयुक्त रूप से और अलग-अलग दायित्व लगाया गया-अपील और संशोधन खारिज कर दिए गए।

माना गया कि इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उल्लंघन करने वाले वाहन को वास्तव में बिना परमिट के चलाया जा रहा था जैसा कि कानून के प्रावधानों के तहत आवश्यक है।यह कानून की एक तय स्थिति है कि बिना परमिट के सार्वजनिक स्थान पर वाहन का उपयोग एक मौलिक वैधानिक उल्लंघन है।यह विशेष रूप से अमृत पाल सिंह और एक अन्य बनाम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया जाता है।

टाटा ए. आई. जी. जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य 2018 (3) आर. सी. आर. (सिविल)

131 कि ऐसी स्थिति जहाँ किसी वाहन को बिना परमिट के सार्वजनिक स्थान पर चलाया जा रहा है, उसे लाइसेंस या नकली लाइसेंस या विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए लाइसेंस के अभाव के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।अमृत पाल सिंह के मामले (ऊपर) में, बीमित व्यक्ति ने यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं लाया था कि उसके पास वाहन चलाने का परमिट था।वास्तव में, लिया गया रुख दुर्घटना में वाहन की गैर-भागीदारी का था, जैसा कि वर्तमान अपीलों में है।इस स्थिति में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दायित्व के निर्वहन की जिम्मेदारी बीमाकर्ता पर नहीं डाली जा सकती है।इस संबंध में राष्ट्रीय न्यायालय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी लाभप्रद संदर्भ दिया जा सकता है।

बीमा कंपनी बनाम चेल्ला भरतम्मा 2004 (4) आर. सी. आर. (सिविल)

399. मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, विद्वान न्यायाधिकरण ने सही निर्णय दिया है कि बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का मौलिक उल्लंघन है।

(पैरा 10)

आगे कहा कि विजय लक्ष्मी के मामले में, निर्णय के पैरा 7 में विशेष रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 810 की राशि के भुगतान के लिए देयता

क्षतिपूर्ति चालक के साथ-साथ मालिक की भी होगी।ऐसा माना जाता है कि मालिक को मुआवजे का भुगतान करने के उसके दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता है जैसा कि उक्त मामले में मांगा गया था। ऐसी ही स्थिति है।

डिवीजनल मैनेजर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मामला।

(ऊपर)।इसलिए, विद्वत न्यायाधिकरण ने दोषी वाहन के चालक और मालिक को मुआवजे का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी ठहराया है।इस स्तर पर यह दोहराया जाता है कि दावेदारों की ओर से कोई अपील या कोई अनुरोध नहीं है, हालांकि इस न्यायालय के समक्ष उनका विधिवत प्रतिनिधित्व किया जाता है।

(पैरा 12)

इंदरजीत शर्मा, अधिवक्ता

अपीलार्थी के लिए 2014 एफ ए ओ संख्या–5340,5341 और 5342,

याचिकाकर्ता के लिए 2014 एफ ए ओ सख्या– 4786,

प्रत्यर्थी – मालिक के लिए 2014 एफ ए ओ सख्या– 9273,9274 और 8753

और

उतरदाता न0–2 के लिए 2015 के सी.आर. न0–186 में मालिक

सुशील जैन, अधिवक्ता

अपीलार्थी के लिए 2014 एफ ए ओ सख्या 9273,9274 और 8753

उतरदाता न0–2 के लिए 2015 के सी.आर. न0–186 में मालिक

बी. एस. तेवतिया, अधिवक्ता

प्रतिवादीगण 1 से 8 के लिए 2014 एफ ए ओ सख्या 5340,

प्रतिवादीगण 1 से 5 के लिए 2014 एफ ए ओ सख्या 5341, और

प्रतिवादीगण 1 से 4 के लिए 2014 एफ ए ओ सख्या 5342,

राजबीर सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता-बीमा कंपनी के लिए।

लिसा गिल, जे. ओरल

(1) यह निर्णय एफ. ए. ओ.-5340-2014 (डी. वी. एम. पब्लिक स्कूल बनाम भगवती और अन्य), एफ. ए. ओ.-5341-2014 (डी. वी. एम. पब्लिक स्कूल बनाम हरि चंद और अन्य), एफ. ए. ओ.-5342-2014 (डी. वी. एम. पब्लिक स्कूल बनाम किरणवती और अन्य), सी. आर.-4786-2014 (डी. वी. एम. पब्लिक स्कूल बनाम रमेश चंद और अन्य), सी. आर.-186-2015 (रवि उर्फ रविंदर बनाम रमेश चंद और अन्य), एफ. ए. ओ.-8753-2014 (रवि उर्फ रविंदर बनाम भगवती और अन्य), एफ. ए. ओ.-9273-2014 (रवि उर्फ रविंदर बनाम किरणवती और अन्य) के साथ-साथ

(2) कम से कम 30 दावा याचिकाएं दायर की गई थीं क्योंकि वही मोटर वाहन दुर्घटना से उत्पन्न हो रही थीं, जो 27.02.2009 पर हुई थी, क्योंकि पंजीकरण No.HR-55-7073 वाली उल्लंघनकारी बस को उसके चालक रवि उर्फ रविंदर द्वारा लापरवाही से चलाया जा रहा था।दावा याचिकाओं में यह दलील दी गई है कि 27.02.2009 पर महेश चंद जगबीर के साथ एक मारुति ऑल्टो कार में गाँव धतिर से पलवल जा रहे थे, जिसका पंजीकरण संख्या। एचआर-26-4107 गाड़ी जगबीर चला रहा था।जब कार गाँव धतिर के नाले के पास पहुंची, तो लगभग 1:15 ए. एम. पर इसके चालक रवि उर्फ रविंदर द्वारा उतावलेपन और लापरवाही से चलाई जा रही थी बस ने पीछे से कार को टक्कर मार दी।कार पलट गई और बस नाले में गिर गई।बस में पैंसठ (65) से सत्तर (70) यात्री थे।गजे सिंह, दया राम और अत्तार सिंह ने दम तोड़ दिया।कहा जाता है कि रमेश चंद और अन्य लोगों को कई गंभीर चोटें आई हैं।आई. पी. सी. की धारा 279,337,304-ए के तहत एफ. आई. आर. संख्या 63 दिनांक 27.02.2009 चालक रवि @रविंदर के खिलाफ पुलिस स्टेशन सदर पलवल में दर्ज की गई थी।

(3) गजे सिंह, दया राम, अत्तार सिंह की मृत्यु और एक रमेश चंद को लगी चोटों के कारण स्थापित दावों के संबंध में उक्त दावा याचिकाओं में से चार को अनुमति दी गई थी। 18.11.2010/07.09.2013 के आरबीटी-7 में दावेदारों को रु. 7,50,000 का मुआवजा दिया गया था, जिसका शीर्षक श्रीमती था। भगवती और अन्य बनाम रवि उर्फ रविंदर और अन्य।आर. बी. टी.-30 में 04.11.2011/07.09.2013 के दावेदारों को श्रीमती के रूप में रु. 6,15,000/-का मुआवजा दिया गया था। किरणवती और अन्य बनाम रवि उर्फ रविंदर और अन्य।2009/2013 के आरबीटी-32 में दावेदारों को हरि चंद और अन्य बनाम रवि उर्फ रविंदर और अन्य शीर्षक से रुपये 1,40,000 का मुआवजा दिया गया था और घायल-दावेदार रमेश चंद को 12.11.2011/07.09.2013 के आरबीटी-31 में में रमेश चंद बनाम रवि उर्फ रविंदर और अन्य

(4) प्रत्यर्थी-बीमा कंपनी को बीमित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने और मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया था, क्योंकि विद्वत न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला था कि उल्लंघन करने वाली बस को चलाने के लिए एक वैध परमिट नहीं था और इसे बीमा पॉलिसी के मालिक और चालक के नियमों और शर्तों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था, जिन्हें संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से दिए गए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था।

(5) वर्तमान अपीलों/संशोधनों से कुल 812 पीड़ित हुए हैं।

उल्लंघन करने वाली बस के मालिक और चालक द्वारा दायर किया गया।अपीलार्थियों के विद्वान वकील का कहना है कि विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे की मात्रा को कोई चुनौती नहीं है और यह केवल विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित उनका दायित्व है, जिसे चुनौती दी जा रही है।इस स्तर पर यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि दावेदारों द्वारा विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे में किसी भी वृद्धि की मांग करने के लिए कोई अपील या परस्पर आपत्तियां दायर नहीं की गई हैं।

(6) उल्लंघनकारी बस के मालिक के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विद्वान न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनी को मुआवजे का भुगतान करने के अपने दायित्व से मुक्त करने में घोर गलती की है।यह तर्क दिया जाता है कि इस मामले में उल्लंघन करने वाला वाहन एक स्कूल बस है, इसलिए, स्कूल बस में चलने के लिए रूट परमिट रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।यह भी तर्क दिया जाता है कि विद्वत न्यायाधिकरण ने गलत निष्कर्ष निकाला है कि बस का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था, जिसमें यात्रियों को ले जाया जा रहा था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि बस में सवार लोग किसी स्कूल समारोह से जुड़े व्यक्ति थे और उन्हें तदानुसार ले जाया जा रहा था।बस का उपयोग किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उल्लंघन करने वाले वाहन का बीमा कंपनी के साथ कानूनी और वैध तरीके से बीमा किया गया था।प्रीमियम का भुगतान विधिवत किया गया था।अभिलेख पर साक्षय बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का कोई उल्लंघन साबित नहीं करता है।इस प्रकार, मालिक मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।इस प्रकार, यह प्रार्थना की जाती है कि उल्लंघन करने वाली बस के मालिक द्वारा दायर अपीलों को अनुमति दी जाए और बीमा कंपनी को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए।

(7) अपीलार्थी-चालक के विद्वान वकील का तर्क है कि विद्वान न्यायाधिकरण ने उसे गलत तरीके से मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया है।यह तर्क दिया जाता है कि किसी भी स्थिति में, यह उल्लंघन करने वाले वाहन का मालिक है, जो/जो मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। मालिक बहुत हद तक याचिकाओं में एक पक्ष है, इसलिए, मुआवजे की वसूली मालिक से की जानी चाहिए।विद्वान वकील, पिरथी सिंह और अन्य मामलों में इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के निर्णयों पर निर्भर करते हैं।

बिंदा राम और अन्य 1, श्रीमती। विजय लक्ष्मी शिवाजीराव जगतप और अन्य बनाम दिल्ली ऑटोमोबाइल (प्रा.) लिमिटेड फिरोजपुर रोड, लुधियाना और अन्य 2 और डिवीजनल मैनेजर, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, खगड़िया में माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय।

1 1987 एयर (पंजाब) 56

2 1987 (2) पी. एल. आर. 464

बनाम मजदा खातून 3 इस प्रकार, यह प्रार्थना की जाती है कि चालक द्वारा दायर अपीलों को अनुमति दी जाए और उसे उस पर लगाए गए दायित्व से पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाए।

(8) इसके विपरीत, बीमा कंपनी के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां वाहन चलाने का परमिट भी मालिक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।इसलिए, परमिट की अनुपस्थिति बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है, जिससे बीमा कंपनी को उसके दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है।केवल प्रीमियम का भुगतान बीमा पॉलिसी की मौलिक अवधि और शर्त के उल्लंघन के मद्देनजर बीमा कंपनी पर देयता को बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अभिलेख पर साक्षय से यह स्पष्ट है कि उल्लंघन करने वाली बस का उपयोग यात्रियों को विचार के लिए ले जाने के लिए किया जा रहा था, इसलिए बस का उपयोग वाणिज्यिक मालिक के लिए किया जा रहा

था, यह प्रस्तुत किया जाता है, अपने लिखित बयान में ऐसा कोई बचाव भी नहीं किया है, लेकिन दुर्घटना में उल्लंघन करने वाले वाहन की गैर-भागीदारी की याचिका ली है और कहा गया है कि उक्त बस में किसी भी यात्री को नहीं ले जाया जा रहा था।रिलायंस को एम. एस. मिडिल में इस उच्च न्यायालय के फैसले पर रखा गया है।

हाई स्कूल और दूसरा बनाम एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस

2015 की कंपनी एफ. ए. ओ. संख्या 7555 ने 26.09.2017 पर निर्णय लिया, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 की एस. एल. पी. No.31406 में दिनांकित 22.11.2017 के आदेश के माध्यम से बरकरार रखा है।

(9) मैंने पक्षों के लिए विद्वान परामर्श सुना है और उनकी सक्षम सहायता के साथ रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

(10) अपीलार्थी-मालिक के विद्वान वकील ने एक मामला स्थापित करने की कोशिश की है कि उल्लंघन करने वाले वाहन को चलाने के लिए एक वैध परमिट रिकॉर्ड में है और केवल रूट परमिट की अनुपस्थिति मालिक को मुआवजे का भुगतान करने के दायित्व के साथ जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है।हालाँकि, अभिलेख के अवलोकन के बाद, अपीलार्थी/मालिक का विद्वान वकील इस बात से इनकार करने में असमर्थ है कि वाहन चलाने की अनुमति भी अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।इस स्तर पर यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि अपीलार्थी/मालिक को इस स्तर पर भी परमिट, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था।हालाँकि, वही आने वाला नहीं है।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उल्लंघन करने वाले वाहन को वास्तव में बिना परमिट के चलाया जा रहा था जैसा कि कानून के प्रावधानों के तहत आवश्यक है।यह कानून की एक तय स्थिति है कि बिना परमिट के सार्वजनिक स्थान पर वाहन का उपयोग एक मौलिक वैधानिक उल्लंघन है।यह विशेष रूप से माननीय सर्वोच्च द्वारा आयोजित किया जाता है।

अमृत पाल सिंह और एक अन्य बनाम टाटा एआईजी जनरल में अदालत

3 2016(3) B.L.Jud। 214

बीमा कंपनी लिमिटेड और अन्य 4 कि एक ऐसी स्थिति जहां एक वाहन को बिना परमिट के सार्वजनिक स्थान पर चलाया जा रहा है, उसे लाइसेंस या नकली लाइसेंस या विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए लाइसेंस के अभाव के साथ नहीं माना जा सकता है।अमृत पाल सिंह के मामले (ऊपर) में, बीमित व्यक्ति ने यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं लाया था कि उसके पास वाहन चलाने का परमिट था।वास्तव में, लिया गया रुख दुर्घटना में वाहन की गैर-भागीदारी का था, जैसा कि वर्तमान अपीलों में है।इस स्थिति में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दायित्व के निर्वहन की जिम्मेदारी बीमाकर्ता पर नहीं डाली जा सकती है।इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी लाभप्रद संदर्भ दिया जा सकता है।

राष्ट्रीय बीमा कंपनी बनाम चेल्ला भरतम्मा 5 में न्यायालय।

मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, विद्वान न्यायाधिकरण ने सही निर्णय दिया है कि बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का मौलिक उल्लंघन है।

(11) जहाँ तक अपीलार्थी-चालक के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों का संबंध है, मुझे इसमें कोई योग्यता नहीं मिलती है।अपीलार्थी-चालक के विद्वान वकील द्वारा दिए गए निर्णय किसी भी तरह से

उसकी सहायता के लिए नहीं आते हैं।पिरथी सिंह के मामले (उपरोक्त) में, उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक ने इस आधार पर दायित्व से बचने की कोशिश की थी कि चालक, उसका कर्मचारी, पंजाब मूवर वाहन नियम, 1940 के नियम 4.60 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए यात्रियों को एक ट्रक में ले जा रहा था।इस न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने कहा कि जब चालक अपने रोजगार के दौरान काम कर रहा था, तो मालिक अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होगा।इस प्रभाव का कोई संकेत नहीं है कि चालक को उसके दायित्व से मुक्त किया जाना है।

(12) विजय लक्ष्मी के मामले (उपरोक्त) में, निर्णय के पैरा 7 में विशेष रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मुआवजे की राशि के भुगतान का दायित्व चालक के साथ-साथ मालिक का भी होगा। ऐसा माना जाता है कि मालिक को मुआवजे का भुगतान करने के उसके दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता है जैसा कि उक्त मामले में मांगा गया था।ऐसी ही स्थिति है।

डिवीजनल मैनेजर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मामला।

(ऊपर)।इसलिए, विद्वत न्यायाधिकरण ने दोषी वाहन के चालक और मालिक को मुआवजे का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी ठहराया है।इस स्तर पर यह दोहराया जाता है कि दावेदारों की ओर से कोई अपील या कोई अनुरोध नहीं है, हालांकि इस न्यायालय के समक्ष उनका विधिवत प्रतिनिधित्व किया जाता है।

(13) किसी अन्य तर्क पर ध्यान नहीं दिया गया है।

4 2018(3) आर. सी. आर. (सिविल) 131

5 2004(4) आर. सी. आर. (सिविल) 399

(14) अपीलार्थियों/याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, पलवल द्वारा पारित विवादित निर्णय में किसी भी अवैधता, विकृति या दुर्बलता को इंगित करने में असमर्थ हैं, जो उनके कहने पर इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप का आह्वान करता है।

(15) 2014 की 5342,9273,9274 और 8753 (ओ एंड एम) और 2014 की सी. आर. संख्या 4786 और 2015 की 186 (ओ एंड एम) जैसी सभी अपीलों/संशोधनों को तदनुसार बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

त्रिभुवन दहिया

अंजना रानी

स्पष्टीकरणः– स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके किसी अन्य उददेष्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता हे। सभी व्यवहारिक और अधिकारीक उददेष्यो के लए निर्णय का अग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कायान्वयन के उददेष्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।